झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक- 22 फाल्गुन, 1941 (श0) / 12 मार्च, 2020 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
62.	अ0सू0-17	श्री अमित कुमार मण्डल	पेंशन राशि में वृद्धि करना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	03.03.20
63.	अ0सू0-05	श्री प्रदीप यादव	वैकल्पिक व्यवस्था करना।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	24.02.20
64.	अ0सू0-20	श्री सरयू राय	दोषि पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	07.03.20
65.	अ0सू0-12	श्री मनीष जायसवाल	बीज विकास निगम का गठन।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.20
66.	अ0सू0-19	श्री सरयू राय	दोषि पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	07.03.20
67.	अ0सू0-18	श्री अमित कु0 मंडल	मानदेय बढ़ाना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता।	03.03.20

राँची,
दिनांक- 12 मार्च, 2020(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-झा0वि0स0(प्रश्न)- 05/2020......941....../वि0स0, राँची, दिनांक:-..07/03/2020..

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन 07.3.2020
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची

कृ0पृ030/-

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)- 05/2020.....941...../वि0स0,राँची,दिनांकः-...07.03.2020

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान-सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
07/3/2020

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,राँची

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)- 05/2020.....941...../वि0स0,राँची,दिनांकः-.....07.03.2020

प्रतिलिपि-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
07/3/2020

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,राँची

राजेन्द्र/-

07.03.20

(62)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 12.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सख्या–अ०सू०–17 की उत्तर सामग्री :–

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजना अंतर्गत गोड्डा जिले में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत 61,659 एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत् 10,585 लाभुक है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिले में पेंशन योजना के लंबित आवेदनों की संख्या–4001 है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन राशि कम है, जिस कारण लाभुकों को जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है;	कोई टिप्पणी नहीं। ➢ पूर्व में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना–80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में रू 700/– प्रति लाभुक पेंशन दिया जा रहा था एवं अन्य सभी पेंशन योजनाओं में रू 600/– पेंशन दिया जा रहा था। ➢ वर्तमान वित्तीय वर्ष–2019–20 में माह अप्रैल, 2019 से सभी पेंशन योजनाओं में 1000/– रू० प्रति लाभुक प्रतिमाह पेंशन दिया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लंबित आवेदनों पर विचार करते हुए पेंशन राशि प्रति लाभुक–7000 हजार प्रतिमाह करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/मा०स०/विधान सभा–56/2020 – 419 राँची, दिनांक : 11-03-2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 680/वि०स० दिनांक–03.03.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.3.20
(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(63)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 12.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रदीप यादव,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने विभागीय संकल्प संख्या–4788, दिनांक 06.10.2015 के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान से ई–पॉश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि सरकार उक्त मशीनों द्वारा सम्पादित कार्य के एवज में भाड़े के रूप में प्रति वर्ष इनके मूल्य से भी अधिक 50 करोड़ रूपये का भुगतान करती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित ई–पॉश मशीन हेतु रूपये 1,350 + 243 (18%GST) = रूपये 1,593 प्रति ई–पॉश मशीन प्रतिमाह भाड़े पर व्यय करती है। वर्तमान में माह जनवरी 2020 हेतु रूपये 4,04,79,723 का विपत्र प्राप्त है। माह जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक विभाग द्वारा कुल 48,90,28,130 रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनता के पैसों को बचाने के लिए इसकी समीक्षा कर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान पद्धति के अनुरूप माह अगस्त 2021 तक ई–पॉश हेतु किराया का भुगतान किया जाना है। तत्पश्चात ई–पॉश विभाग को प्राप्त हो जायेगा। इसके बाद सिर्फ Operational Cost यथा Annual Maintenance Cost, SIM Charge एवं Man Power पर खर्च आयेगी। अगर तत्काल इसका क्रय किया जाय तो रूपये 71 करोड़ की राशि के साथ Operational Cost भी वहन करना पड़ेगा। वर्तमान में ई–पॉश पर आने वाले मासिक व्यय की विवरणी राज्यवार निम्नवत् है :– (क) ई–पॉश को मासिक किराये पर लेना।

तेलंगाना	रूपये 1,650 + टैक्स
मध्य प्रदेश	रूपये 1,254 + टैक्स
पंजाब	रूपये 1,775 + टैक्स
सिक्किम	रूपये 1,999 + टैक्स
बिहार	रूपये 1,405 + टैक्स
झारखण्ड	रूपये 1,350 + टैक्स

(ख) ई–पॉश को वितरित होने वाले खाद्यान्न की मात्रा क्विंटल की दर से मासिक किराये पर लेने पर

उत्तर प्रदेश	रूपये 1,445 + टैक्स
महाराष्ट्र	रूपये 1,592 + टैक्स
पश्चिम बंगाल	रूपये 2,016 + टैक्स

	(ग) ई–पॉश का क्रय कर इसके क्रियान्वयन पर
	केरल: रूपये 26,350 एकमुश्त प्रति ई–पॉश हेतु + मासिक Operational Cost
	उड़ीसा: रूपये 28,500 एकमुश्त प्रति ई–पॉश हेतु + मासिक Operational Cost

विदित हो कि यह मॉडल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई थी जिसे दिनांक 07 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों के माननीय खाद्य मंत्रियों की बैठक में हुई चर्चा के क्रम में मध्य प्रदेश का निविदा प्रारूप भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को परिचालित किया गया था। उसी के क्रम में लगभग सभी राज्यों में इसी मॉडल को अपनाया गया है। स्पष्ट है कि राज्य में प्रचलित वर्तमान मॉडल ही ज्यादा विश्वसनीय एवं किफायती है।

(थॉमस टुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 06 (वि०स०)–05 / 2020– 634 /राँची, दिनांक 06/03/20

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–318 / वि०स०, दिनांक 24.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

64

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–12.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20 का उत्तर।

क० स०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि लोकायुक्त कार्यालय, राँची के आदेश ज्ञापांक–6494, दिनांक–22.11.2018 एवं संशोधित ज्ञापांक–6736 दिनांक–30.11.2018 के आलोक में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन, राँची में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के शिकायत की जाँच की गई है;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि जाँचोपरांत मिल्क फेडरेशन में बॉयलर, क्रीम सेपरेटर, स्किड माउन्ट चिलर, हाईटेक मिल्क एनालाईजर आदि उपकरणों के क्रय तथा तकनीकी संवेदक एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता पाई गई है,	स्वीकारात्मक।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि जाँच में दोषी पाये गये व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई की गई है तथा अनियमितताओं के कारण फेडरेशन को कितना नुकसान हुआ है, इसका ब्योरा उपलब्ध करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?	मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक– 6/वि०स०/अल्पसूचित/15/2020 प०पा०/ 290 /राँची, दिनांक 11.03.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–प्र० 887 वि०स० राँची, दिनांक–07.03.2020 के आलोक में उत्तर की कुल 200 चक्रलिखित प्रतियाँ/ अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/03/20
सरकार के अवर सचिव

65

श्री मनीष जयसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-12.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0-12 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य बीज विकास निगम का गठन राज्य के किसानों को ससमय उन्नत किस्म के बीज को उपलब्ध कराने के लिए किया गया है,	झारखण्ड राज्य से संबंधित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार आँध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कई अन्य राज्यों से बीज की खरीददारी ऊँचे दामों पर करती है, जिसमें न ही बीज की गुणवत्ता होती है और न ही बीज की आपूर्ति ससमय की जाती है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज ससमय उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा ई-निविदा के माध्यम से भारत सरकार/राज्य सरकार के उपकम से बीज आपूर्ति कराया जा रहा है। विगत वर्षों में सरकारी संस्थाओं यथा National Seed Coporation, उत्तर प्रदेश बीज निगम से बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में राज्य की एक मात्र राईस रिसर्च सेंटर स्थित है जहाँ बीज का उत्पादन बड़े तादाद में की जाती है, परन्तु यहाँ की बीज कई अन्य राज्यों की सरकारें पहले ही खरीददारी कर लेती हैं जिसके कारण राज्य के किसानों को उन्नत बीज हेतु अन्य राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। Central rainfed Upland Rice Research Station (CRURRS), हजारीबाग एक रिसर्च सेंटर है, जहाँ नये प्रभेद विकसित किये जाते है, परन्तु उनके द्वारा प्रमाणित बीज का उत्पादन नहीं किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड-01 में वर्णित राज्यों के तर्ज पर झारखण्ड में भी राज्य बीज विकास निगम के गठन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में वर्ष 2016-17 में Jharkhand State Agriculuture Development Corporation Ltd. का गठन किया गया है, जिसके द्वारा के0भी0के0 के तकनीकी देख-रेख में गठित बीज ग्राम द्वारा उत्पादित बीज का क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-14/2020 548 कृ0, राँची, दिनांक- 07-03-2020

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-433 दिनांक-28.02.2020 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07-03-2020

(चन्द्र भूषण)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-14/2020 548 कृ0, राँची, दिनांक- 07-03-2020

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त

[illegible] सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल

(67)

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–12.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–18 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि प्रोद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) द्वारा वर्ष 2010 में विभागीय संकल्प–210 दिनांक–31.07.2010 के अनुसार कुल 14000 कृषक मित्रों का चयन किया गया है;	स्वीकारात्मक। भारत सरकार की पुनरीक्षित आत्मा स्कीम 2010–11 एवं विभागीय संकल्प सं०–210 दिनांक–31.07.2010 के आलोक में Extension Reforms योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक चार राजस्व गाँवों पर एवं द्वितीय चरण में प्रत्येक दो राजस्व गाँवों पर एक कृषक मित्र के चयन का प्रावधान है। वर्त्तमान में कुल 12626 कृषक मित्र कार्यरत हैं।
2	क्या यह बात सही है कि 9 वर्षों से कार्यरत कृषक मित्रों को वार्षिक प्रोत्साहन राशि महज 6000 ही दिये जाते हैं;	भारत सरकार की आत्मा मार्गदर्शिका 2018 में कृषक मित्रों से संबंधित कंडिका में स्पष्ट किया गया है "the small sum of Rs. 12,000/- per annum has been provided to the Farmer Friends to meet contigent expenditure for assisting fellow farmers. It should not be perceived as remuneration." उक्त के आलोक में कृषक मित्रों को वर्त्तमान में प्रति माह प्रोत्साहन राशि के रूप में रूपये 1000/– भुगतान किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के कृषक मित्रों को कुशल मजदूर के मजदूरी के बराबर मानदेय लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04/कृ०वि०स०(अ०सू०)–15/2020 529 कृ०, राँची, दिनांक– 05-03-2020

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–679 दिनांक–03.03.2020 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.3.2020

(गुलाम सरवर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ०वि०स०(अ०सू०)–15/2020 529 कृ०, राँची, दिनांक– 05-03-2020

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/जोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.3.2020

सरकार के अवर सचिव।

16